बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

सारण प्रमंडल, छपरा

1.परिचयात्मक

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या - 65/2010-2011

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम - जिला कोषागार कार्यालय, छपरा

(ख) अंकेक्षित लेखावधि - वर्ष 2009 - 2010

(ग) प्रशासी विभाग - वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(घ)अंकेक्षण अवधि का नियंत्री पदाधिकारी :-

(i) श्री बी0 राजेन्द्र, भा0 प्र0 से0, समाहर्त्ता -1.4.09 से 27.5.09 तक

(ii) श्री संजिव हंस, भा0 प्र0 से0, समाहर्त्ता - 27.5.09 से 3.8.2009

(iii) श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0,समाहर्त्ता- 3.8.09 से 7.7.10 तक

(ङ) अंकेक्षण अवधि में लेखा प्रभारी पदाधिकारी/ कर्मचारियों का नाम पदनाम

अवधि सहित :-

(i) श्री गोपीचन्द सिंह , कोषागार पदा0-1.4.09 से 31.3.09 तक

(ii) श्री वैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता, प्रधान सहायक - 1.4.09 से 31.3.10

(iii) श्री शाहिद अख्तर, स्टाम्प लेखापाल - 1.4.09 से 31.3.10 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/कर्मचारियों के नाम :-

(i) श्री गोपीचन्द सिंह , कोषागार पदा0

(ii) श्री वैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता, प्रधान सहायक

(iii) श्री शाहिद अख्तर, स्टाम्प लेखापाल

(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम :-

(i) श्री बलिराम यादव , वरीय अंकेक्षक -1

(ii) श्री शंभू नाथ पाण्डेय, वरीय अंकेक्षक-2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि - 05.01.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि - 28.2.2011

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 35 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

परिशिष्ट "क" पर है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र

इस लेखा का अंकेक्षण विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 16.9.1960 के निदेशानुसार स्थापना सहित स्टाम्प लेखा का सम्पन्न किया गया। कोषागार अभिलेखों से निकासी एवं जमा सत्यापन शत प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया । पराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों की माँग की गयी जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया। फलतः अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(ड) वित्तीय समीक्षा

जिला कोषागार कार्यालय छपरा को वर्ष 2009–10 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" पर दृष्टव्य है जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि वेतनादि एवं अन्य शीर्षो में प्राप्त आवंटन एवं व्यय के पश्चात् अवशेष बचत राशि का प्रत्यार्पण ससमय किया गया।

अंकेक्षण अवधि वर्ष 2009-10 में रोकड़ पुस्त का संवरण शेष 31.3.10 को रु0 86,000.00 पायी गयी। यह राशि जिला अन्तर्गत खुलने वाली सब कोषागार कार्यालयों के उपस्कर ग्रान्ट के लिए उपलब्ध कराया पाया गया। कार्यालय द्वारा बताया गया कि यह राशि डिपोजिट एट कौल रुप में रखी गयी है।

यही राशि अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 5.1.2011 को रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में पायी गई जिसका भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदा0 द्वारा अंकेक्षण के समक्ष कर लिया गया है।

अंकेक्षण अवधि वर्ष 2009-10 में वज्रगृह रोकड़ पंजी (डब्ल लौक पंजी) में न्यायिक मुद्रांक का प्रारंभण शेष 1.4.2009 को रु0 1,49,94,618.00 एवं गैर न्यायिक मुद्रांक रु0 22,52,75,890.50 की पायी गयी थी। तथा संवरण शेष दिनांक 31.3.10 को न्यायिक मुद्रांक रु0 1,12,27,892.00 एवं गैर न्यायिक मुद्रांक रु0 19,58,12,970.50 की पायी गयी थी। अंकेक्षण प्रारंभण तिथि दिनांक 5.1.2011 को न्यायिक मुद्रांक रु0 61,20,932.00 एवं गैर न्यायिक मुद्रांक रु0 16,65,74,770.50 पायी गयी थी। सभी तरह के स्टाम्पों का विस्तृत लेखा विवरणी परिशिष्ट (ग) पर दृष्टव्य है।

कोषागार निरीक्षण संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विगत कई वर्षो से स्टाम्प लेखा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। वर्ष 2008-09 में दिनांक 28.5.2008 को तत्कालीन समाहर्त्ता श्री प्रभात कुमार साह द्वारा कियाा गया कोषागार कार्यालय का निरीक्षण के समय के अभाव दर्शाते हुए स्टाम्प लेखा का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका है। सिर्फ वज्रगृह रोकड़ पंजी के आधार पर उक्त तिथि का न्यायिक मुद्रांक की राशि 1,36,41,165.00 एवं गैर न्यायिक मुद्रांक की राशि 22,81,52,250.00 अंकित पायी गई। बिहार कोषागार संहिता के नियम 73 के अनुसार प्रत्येक छः माह पर एक बार समाहर्त्ता द्वारा कोषागार का सिलसिलेवार निरीक्षण अनिवार्य है। जिसका यहाँ सर्वथा अभाव पाया गया है। अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है कि भौतिक सत्यापन ससमय किया जाय ।

विभागीय पत्रांक 503 दिनांक 29.1.76 के आलोक में अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 5.1.2011 को रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में पायी गयी राशि रु0 86,000.00 डिपोजिट एट कौल चेक रुप में पायी गयी थी। चेक नं0 एल-928401 दिनांक 31.3.86 रु0 86,000/-

जिला कोषागार कार्यालय के लिए अपर वित्त आयुक्त (व्यय) बिहार,पटना के ज्ञापांक 7425 वि02 दिनांक 21.11.2006 से कुल स्वीकृत पद तथा वर्त्तमान में कार्यरत बल, रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट (घ) पर दी गयी है जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि कार्यालय स्टाफ में 19 पद रिक्त है तथा कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री औपरेटर का 1 पद रिक्त है। कार्यहित में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाय।

प्रथम भाग

(2) रुपये 600.00 आवास भत्ता मद मे अधिक भुगतीत राशि संबंधित व्यक्ति से वसुली योग्य ।

वित्तीय वर्ष 2009 - 10 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री गोपी चन्द्र सिंह, कोषागार पदाधिकारी का मूल वेतन रु0 27550/- माह फरवरी, 2009 से अप्रिल, 2009 तक पाया गया जिस पर अनुमान्य आवास भत्ता 7.5 % की दर से रु0 2066/- प्रतिमाह मिलना चाहिए था जिसके स्थान पर वास्तविक देय राशि से अधिक राशि रु0 2266.00 का भुगतान किया हुआ पाया गया । (माह फरवरी,09 से अप्रील 2009 तक) इस प्रकार प्रतिमाह रु0 (2266-2066) रु0 200/- का अधिक भुगतान किया हुआ पाया गया । इस प्रकार

कुल तीन माह में अधिक भुगतीत राशि (200×3) = 600/- रुपये संबंधित व्यक्ति से वसूली योग्य होगा। इस संबंध में निम्न प्रकार से विवरण अंकित किया जा रहा है।

क्र0	माह का नाम	मूल वेतन	विपत्र सं0	आवास भ0 मद में भुगतीत राशि	7.5 % आवास भत्ता मद में वास्तविक रुप से भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतीत राशि जो वसूली योग्य है	भुगतान तिथि
1.	फरवरी 2009	27550/-	85/08-09	2266.00	2066.00	200.00	17.3.2009
2.	मार्च 09	27550/-	01/09-10	2266.00	2066.00	200.00	23.4.2009
3.	अप्रील 09	27550/-	09/09-10	2266.00	2066.00	200.00	12.5.09
	योग	6798.00		6798.00	6198.00	600.00	

निर्गत आपत्ति का अनुपालन करके नहीं लौटाया गया है जिससे ज्ञात किया जा सके कि राशि की वसुलीय हुई है अथवा लंबित है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि संबंधित व्यक्ति से आवास भत्ता मद में अधिक भुगतीत राशि रु0 600.00 की वसुली कर कोषागार चलान के माध्यम से उचित शीर्ष में जमा करा ली जाय तत्पश्चात फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग ,बिहार , पटना को भी अवगत कराया जाय।

<u>(3) रुपये 12,474.00 का प्रिन्ट कोटेशन इस्टीमेट पेपर पर किये गये भुगतान को काल्पनिक मानते हुए व्यय राशि वसूली योग्य।</u>

कोषागार में चलित जेनरेटर मशीन से संबंधित खर्च अभिश्रवों की जाँच में पायाा गया कि मेसर्स प्रभात मशीनरीज छपरा से दिनांक 4.2.2010 को एक कोटेशन इस्टीमेट पेपर प्राप्त की गयी थी जिसमें जेनरेटर में बदले जाने योग्य पार्ट्स यथा किलोस्कर मोबिल पम्प एवं अन्य 26 पार्ट्स का मूल्य रु0 9274.00 अंकित है तथा पार्ट्स बदलने वाले मिस्त्री की मजदूरी रु0 3200.00 अंकित है। इस प्रकार कुल संभावित खर्च (9274.00 + 3200.00) 12,474.00 अंकित है। आगे की तिथि में कार्यालय द्वारा इसी “कोटेशन इस्टीमेट पेपर” को गाढ़े स्याही से लिप्त लेखन करके उपर विपत्र लिखा हुआ पायाा गया । इसे व्यय अभिश्रव के रुप में अभिश्रव संख्या 102/09-10

बना दिया गया है। तथा कार्यालय विपत्र संख्या 76/09-10 से राशि की निकासी करके दिनांक 11.2.2010 को रोकड़ पुस्त में मेसर्स प्रभात मशीनरीज छपरा को भुगतान दर्शाया पाया गयाा है। अभिश्रव पर प्रभात मशीनरीज द्वारा राशि प्राप्ति का पावती हस्ताक्षर अंकित की हुई नहीं पायी गयी । न खरीद करने वाला यह प्रमाण पत्र दिया है कि मेरे द्वारा भुगतान किया गया है।

जेनरेटर पार्ट्स खरीद की पूर्व स्वीकृति सक्षम पदिाधिकारी से नहीं ली गयी है। बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम 132 क्रय भंडारण एवं वितरण के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यह प्रमाण पत्र अंकित करना है कि प्राप्त सामग्रियों की प्रविष्टि संबंधित भंडार पंजी में कर ली गयी है इस नियम का भी पालन नहीं किया जा सका है।

इस खरीद पर अंकेक्षण के समय आपत्ति निर्गत कर पूछा गया है कि कोटेशन इस्टीमेट पेपर पर खरीद भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत कराया जाय अन्यथा यह खरीद एवं भुगतान संदिग्ध माना जायेगा। निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर लौटाने के लिए कर्मचारी एवं पदाधिकारी से भेंट कर मांग की गयी फिर भी अनुपालन करके आपत्ति पुस्त नहीं लौटायी जा सकी है।

उपरोक्त वर्णित वांछित साक्ष्यों एवं कार्यालय मंतव्य के अभाव में नियमतः “प्रिन्ट कोटेशन इस्टीमेट पेपर” पर खरीद एवं भुगतान दोनों काल्पनिक है। विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रुप से आकृष्ट कराया जाता है कि भविष्य में इस तरह के खरीद एवं भुगतान पर रोक लगायी जाय। इस खरीद एवं भुगतान को काल्पनिक खरीद एवं भुगतान मानते हुए पूर्ण राशि रुपये 12,474.00 को संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों से वसुली कर कोषागार में जमा करा ली जाय तत्पश्चात फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(4) रुपये 6884.00 की खरीद की गयी डीजल मोबिल की राशि वसुली योग्य।

कार्यालय आकस्मिक अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि जेनरेटर चलाने के लिए डीजल–मोबिल खरीद के पहले पूर्व स्वीकृति लेकर खरीद की गयी है । खरीद के पश्चात उसकी भंडार पंजी में प्रविष्टि करके दैनिक रुप से खर्च दिखायी गयी है जो सही है। अभिश्रव संख्या 09/09–10 से खरीद दिखायी गयी 50 लीटर डीजल के साथ उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया नहीं पूरी की गयी है। इसके अलावे अभिश्रव संख्या 51,59,74,100,106 एवं 131/09–10 से खरीद दिखायी गयी डिब्बा बन्द लुब्रिकेन्ट मोबिल का भी खरीद पूर्व स्वीकृति ,भंडार पंजी में प्रविष्टि एवं वितरण की हुई नहीं

पायी गयी। खरीद करने वाले द्वारा अभिश्रव पर यह भी नहीं अंकित किया गया है कि मेरे द्वारा भुगतान किया गया है। उपरोक्त अभिश्रवों के साक्ष्य से विभिन्न कार्यालय विपत्रों के माध्यम से राशि की निकासी करके रोकड़ पुस्त में भुगतान दिखा दिया गया है। उपरोकत ढंग से खरीद की गयी डीजल एवं मोबिल की विस्तृत विवरणी तैयार करके परिशिष्ट (ड़) पर दिया गया है। यहाँ पर बिहार वित्त नियमावली भाग–1 के नियम 132 में निर्धारित प्रक्रिया क्रय भंडारण एवं वितरण प्रक्रिया का सीधे –सीधे उलंघन हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा निर्गत मंत्रीमंडलीय निगरानी विभाग के पत्रांक 1342 पटना दिनांक 23.7.1977 के निदेशानुसार इंधन की प्रविष्टि संबंधित लौग बुक में होनी चाहिए अन्यथा ईंधन का मूल्य जिम्मेवार व्यक्ति से वसूली योग्य मानी जायेगी । उपरोक्त वर्णित वांछित निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यालय मंतव्य के साथ न मिलने के कारण नियमतः खरीद दर्शायी गयी डीजल एवं डिब्बा बन्द मोबिल की खरीद काल्पनिक खरीद है अथवा नीजि उपयोग के लिए खरीद की गयी प्रतीत होती हैं इस ओर विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता जिससे इस तरह की खरीद की प्रवृत्ति पर रोक लगाया जा सके। तत्काल इस खरीद एवं भुगतान को काल्पनिक मानते हुए दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों से भुगतान की गयी राशि रु0 6884.00 वसूली कर चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करा ली जाय।

तत्पश्चात की गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का हस्ताक्षर

1. आलोक कुमार गुप्ता, व0 अं0 2

"आभीर"

परिशिष्ट “क” कंडिका वित्तीय समीक्षा से संबंधित

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची

1. (क) प्रस्तुत अभिलेखों की सूची

(i) रोकड़ पुस्त – वर्ष 2009 – 10

(ii) विपत्र पुस्त – वर्ष 2009 –10

(iii) वेतन भुगतान पंजी दो तरह का विभागीय/गैर विभागीय

(iv) कन्टीजेन्ट पंजी

(v) कन्टीजेन्ट अभिश्रव संचिका

(vi) जेनरेटर इंधन भंडारी पंजी एवं व्यय पंजी

(vii) कम्प्यूटर में उपयोग होनेवाली सामग्री भंडार पंजी एवं व्यय पंजी

(viii) निरीक्षण संचिका

(ix) स्टेशनरी भंडार पंजी एवं व्यय पंजी

(x) पोस्ट स्टाम्प भंडार पंजी

(ख) स्टाम्प लेखा से संबंधित

(xi) चालान की प्रति जिससे सभी तरह के स्टाम्प मूल्य जमा हुआ है।

(xii) चालान पंजी जिससे स्टाम्प विक्री दिखायी गयी है।

(xiii) स्टाम्प सिंगल लौक पंजी दो भाँलूम में

(ixv) स्टाम्प डबल लौक पंजी दो भाँलूम में

(xv) स्टाम्प आपूर्ति संचिका

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

(i) जेनरेटर मरम्मती पार्ट्स से संबंधित डेड स्टॉक पंजी

(ii) सेवा पुस्त सभी कार्यरत कर्मचारियों का

परिशिष्ट “ख” कंडिका वित्तीय समीक्षा से संबंधित

जिला कोषागार छपरा का वर्ष 2009-10 का आवंटन व्यय विवरणीः-

कंडिका वित्तीय समीक्षा से संबंधित

शीर्षो का नाम	कुल प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अधिक व्यय	अवशेष राशि	प्रत्यार्पित राशि पत्रांक/ दिनांक
1.वेतन एवं जीवन यापन मद	2630000.00	2590118.00	×	39882.00	356/29.3.10 से प्रत्याार्पित है
2. यात्रा भत्ता मद में	30000.00	21338.00	×	8662.00	” ”
3. कार्यालय व्यय मद में	210000.00	210000.00	×	शून्य	” ”
4. सामग्री एवं आपूर्ति मद में	25000.00	25000.00	×	शून्य	” ”
5. दूरभाष मद में	16000.00	2957.00	×	13043.00	” ”
6. विद्युत मद में	120000.00	22504.00	×	97496.00	” ”
7. अनुरक्षण एवं मरम्मत मद	6000.00	शून्य	×	6000.00	” ”
8. विधि प्रभार मद में	8000.00	शून्य	×	8000.00	” ”

परिशिष्ट (ग) वित्तीय समीक्षा से संबंधित

सभी तरह के स्टाम्पों का विस्तृत लेखा विवरणी

क्र0	स्टाम्प का प्रकार	1.4.09 का प्रारंभण शेष	वर्ष 09-10 में खरीद की गयी मुद्रांक का मूल्य	कुल योग(कॉलम 3एवं 4 का योग)	वर्ष 09-10 में विक्री की गयी मुद्रांक का मूल्य	31.3.10 का संवरण शेष (कॉलम 5 में से कॉलम 6 घटाने पर	5.1.2011 अंकेक्षण प्रारंभण तिथि का संवरण शेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I(i)	न्यायिक स्टाम्प (कोर्ट फ्री)	14994618.00	1340000.00	16334618.00	5935726.00	10398892.00	5911432.00	I न्यायिक स्टाम्प
(ii)	न्यायिक स्टाम्प एडवोकेट वेलफेयर स्टाम्प	00	2000000.00	2000000.00	1172000.00	828000.00	206000.00	
(iii)	न्यायिक स्टाम्प कौपी स्टाम्प	00	7500.00	7500.00	6500.00	1000.00	3500.00	
योग	योग	14994618.00	3347500.00	18342118.00	7114226.00	11227892.00	6120932.00	
II(i)	गैर न्यायिक स्टाम्प	216271800.00	54740000.00	271011800.00	82418920.00	188592880.00	160692880.00	II गैर न्यायिक स्टाम्प
(ii)	प्लीडर ओरिजनल स्टाम्प	1395.00	-	1395.00	-	1395.00	1395.00	
(iii)	प्लीडर ऑरिनिकल स्टाम्प	975.00	-	975.00	-	975.00	975.00	
(vi)	मोख्तार ओरिजनल स्टाम्प	130.00	-	130.00	-	130.00	130.00	
(v)	मोख्तार रिनिवल स्टाम्प	245.00	-	245.00	-	245.00	245.00	
(vi)	रिभनीउ एजेन्ट स्टाम्प	365.00	-	365.00	५	365.00	365.00	
(vii)	हुण्डी स्टाम्प	780.50	-	780.50	-	780.50	780.50	
(viii)	इन्सूरेन्स स्टाम्प	00	-	00	-	00	00	
(ix)	रिभनीउस्टाम्प	320000.00	960000.00	1280000.00	512000.00	768000.00	320000.00	
(x)	स्पेशला एडहेसिकस्टाम्प	7287200.00	-	7287200.00	2232000.00	5055200.00	4165000.00	
(xi)	नोटरियल स्टाम्प	1393000.00	-	1393000.00	-	1393000.00	1393000.00	
	योग -	225275890.50	55700000.00	280975890.50	85162920.00	195812970.50	166574770.50	

परिशिष्ट (घ) कंडिका वित्तीय समीक्षा से संबंधित

स्वीकृत कार्यबल एवं कार्यरत बल की सूची

अपर वित्त आयुक्त (व्यय) बिहार पटना के ज्ञापांक 7425 वि02 दिनांक 21.11.2006

के आलोक में :-

पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त पद/खाली पद
1. सहायक कोषागार पदाधिकारी	02	02	शून्य
2. कार्यालय स्टाफ	24	05	19 पद
3. डाटा इन्ट्री औपरेटर	04	03	01 पद
4. कोषागार पदा0	01	01	शून्य

परिशिष्ट (ड.) कंडिका 4 से संबंधित

खरीद की गयी डीजल एवं मोबिल का खरीद पूर्व स्वीकृति तथा खरीद करने के पश्चात भंडार पंजी में प्रविष्टि तथा वितरण अप्राप्त है।

क्र0	विपत्र सं0	उपाभिश्रव सं0	दूकान का नाम पता खरीद तिथि	सामग्री का नाम एवं मात्रा	मूल्य	भुगतान तिथि
1.	27/09-10	9/09-10	प्रसाद एण्ड सन्स छपरा -27.3.09	डीजल 50 लीटर	1639.00	28.8.09
2.	53/09-10	51/09-10	श्री बालाजी लुब्रिकेन्ट छपरा 16.10.09	मोबिल 3.1/2ली0	440.00	3.11.09
3.	56/09-10	59/09-10	” ”11.11.09	मोबिल 3.1/2ली0	450.00	24.11.09
4.	61/09-10	74/09-10	” ”15.12.09	” ” 3.1/2ली0	445.00	15.12.09
5.	76/09-10	100/09-10	” ”30.1.10	” ” 7.1/2ली0	1490.00	11.2.10
6.	81/09-10	106/09-10	” ” 20.2.10	” ” 5ली0	930.00	9.3.10
7.	87/09-10	131/09-10	” ” 11.3.10	” ” 7.1/2 ली0	1490.00	26.3.10
				कुल रु0	6884.00	